रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18012023-242038
CG-MH-E-18012023-242038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944
No. 43] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 17 जनवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी./जी.एन./2023/117.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे:

   परंतु यह कि विनियम 15 में किए गए संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे;

   परंतु यह और कि अनुसूची-V के पैरा-ग के उप-पैरा (10) में किया गया संशोधन, वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु और उसके बाद दाखिल की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टों के लिए लागू होगा ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में -

I. विनियम 15 में, उप-विनियम (1क) में, स्पष्टीकरण (4) हट जाएगा।

II. विनियम 15 में, उप-विनियम (1क) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(1ख) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर हुए अवसंरचना निवेश न्यास के मामले में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संचालन (गवर्नेंस) के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंड लागू होंगे ।"

III. विनियम 15 में, उप-विनियम (1ख) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(1ग) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर हुए रियल इस्टेट निवेश न्यास के मामले में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संचालन (गवर्नेंस) के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंड लागू होंगे ।"

IV. अध्याय-IV में, विनियम 16 (जिसका शीर्षक "परिभाषाएँ" है) में, उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (घ) आ जाएगा, अर्थात्,-

"(घ) "वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" (ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल) का अर्थ है - सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के वे अधिकारी और कर्मचारी जो उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य दल [जिसमें निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) शामिल नहीं है] के सदस्य हों, और जिसमें प्रबंध-मंडल के वे सभी सदस्य भी शामिल होंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) या प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डायरेक्टर) या प्रबंधक से एक स्तर नीचे के हों [जिसमें वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक भी शामिल होंगे, जो निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) का हिस्सा न हों], और जिसमें खास तौर पर कार्यों के प्रमुख (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) और कंपनी सचिव तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे ।"

V. विनियम 17 में, उप-विनियम (1ग) में, शब्दों "किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने" के स्थान पर शब्द "किसी व्यक्ति को नियुक्त या फिर से नियुक्त किए जाने या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त या फिर से नियुक्त किए जाने" आ जाएँगे।

VI. विनियम 17 में, उप-विनियम (1ग) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"परंतु यह कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) में अथवा प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक (साधारण बैठक) में ले ली जाए:"

VII. विनियम 17 में, उप-विनियम (1ग) की बाद, मौजूदा पहले परंतुक में, शब्दों "परंतु यह" के बाद और शब्दों "कि किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति" से पहले, शब्द "और" जोड़ा जाएगा ।

VIII. विनियम 26 में, शीर्षक में, शब्दों और चिह्नों "मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सन्स)" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सोनल)" आ जाएँगे ।

IX. विनियम 31क में, उप-विनियम (3) में, खंड (ख) में, उप-खंड (v) में, शब्दों और चिह्नों "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सन)" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सोनल)" आ जाएँगे।

X. अनुसूची-III में, भाग-क में, पैरा-क में, उप-पैरा 16 में, मद (ठ) में, क्रम सं. (ix) में, शब्दों और चिह्नों "प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के मुख्य व्यक्ति (व्यक्तियों)" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सोनल)" आ जाएँगे ।

XI. अनुसूची-V में, पैरा-ग में, उप-पैरा (10) में, खंड (ड) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"(ढ) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की महत्त्वपूर्ण समनुषंगियों (सब्सिडियरिज़) के ब्यौरे; जिनमें ये ब्यौरे भी दिए जाएँ कि वे समनुषंगियाँ (सब्सिडियरिज़) किस तारीख को और कहाँ गठित (निगमित) हुई थीं और

साथ ही ऐसी समनुषंगियों (सब्सिडियरिज़) के कानूनी लेखापरीक्षकों (स्टैटयूटरी ऑडिटर) के नाम भी बताने होंगे तथा उनकी नियुक्ति की तारीख भी बतानी होगी।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./569/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :

   क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा

   ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा

   ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा

   घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा

   ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा

   च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

   छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा

   ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

   झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा

   ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा

ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा

ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा

ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा

ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा

ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा

त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा

थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा

द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा

ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा

प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा

फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा

ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा

भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/35, द्वारा

य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/42, द्वारा

कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47, द्वारा

खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/55, द्वारा

गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा

घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा

ङङ) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा

चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा

छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा

जज) 14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103, द्वारा

झझ) 5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/109, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th January, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

   Provided that the amendments in Regulation 15 shall come into force with effect from April 1, 2023;

   Provided further that the amendment in Schedule V, Paragraph C, sub-para (10), shall be applicable for Annual Reports filed for the financial year 2022-2023 and thereafter.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 -

I. in regulation 15, in sub-regulation (1A), Explanation (4) shall be omitted.

II. in regulation 15, after sub-regulation (1A), following sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(1B) Notwithstanding anything contained in this regulation, in case of an Infrastructure Investment Trust registered under the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, the governance norms specified under the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 shall be applicable."

III. in regulation 15, after sub-regulation (1B), following sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(1C) Notwithstanding anything contained in this regulation, in case of a Real Estate Investment Trust registered under the provisions of Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trust) Regulations, 2014, the governance norms specified under the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trust) Regulations, 2014 shall be applicable."

IV. in Chapter IV, in regulation 16 titled "Definitions", in sub-regulation (1), clause (d) shall be substituted with the following clause (d), namely,-

"(d) *"senior management" shall mean the officers and personnel of the listed entity who are members of its core management team, excluding the Board of Directors, and shall also comprise all the members of the management one level below the Chief Executive Officer or Managing Director or Whole Time Director or Manager (including Chief Executive Officer and Manager, in case they are not part of the Board of Directors) and shall specifically include the functional heads, by whatever name called and the Company Secretary and the Chief Financial Officer.*"

V. in regulation 17, in sub-regulation (1C), after the words "for appointment" and before the words "of a person", the words "or re-appointment" shall be inserted.

VI. in regulation 17, after sub-regulation (1C), the following proviso shall be inserted, namely-

"Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting:"

VII. in regulation 17, after sub-regulation (1C), in the existing first proviso, after the word "provided" and before the words "that the appointment", the word "further" shall be inserted.

VIII. in regulation 26, in the heading, the words "key managerial persons" shall be substituted with the words "key managerial personnel".

IX. in regulation 31A, sub-regulation (3), in clause (b), in sub-clause (v), the words "key managerial person" shall be substituted by the words "key managerial personnel".

X. in Schedule III, Part A, in paragraph A, in sub-paragraph 16, in Item (l), in point (ix), the words and symbols "key managerial persons(s)" , shall be substituted by the words "key managerial personnel".

XI. in Schedule V, in Paragraph C, in sub-para (10), the following clause shall be inserted after clause (m), namely-

"(n) Details of material subsidiaries of the listed entity; including the date and place of incorporation and the name and date of appointment of the statutory auditors of such subsidiaries."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./569/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.

2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:

   a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.

   b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.

   c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2016-17/008.

   d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification No.SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.

   e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.

   f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

   g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.

   h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.

   i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.

   j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.

   k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No.. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.

   l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No.. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.

   m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No.. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.

   n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.

   o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/ GN/2019/22.

p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.

q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/ GN/2019/45.

r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.

s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.

u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No.. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.

v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No.. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.

w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.

x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/35.

z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/42.

aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/47.

bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/55.

cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.

dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/76.

ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/79.

ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/80.

gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/88.

hh) November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/103.

ii) December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/109.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA